राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2411/2025

सुरेश शिल्पकार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025
आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रतापगढ़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित था और डीपीसी उपरांत अपीलार्थी को संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रतापगढ पदस्थापित किया गया है और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.01.2025 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्रतापगढ से डाईट भरतपुर लगभग 600 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया। उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार के आदेश वर्ष 2018 जिसमें प्रतापगढ जिले को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके बावजूद अपीलार्थी को टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध

है। अपीलार्थी स्वयं हृदयघात बीमारी से पीडित है, जिसका उपचार चल रहा है। अपीलार्थी की माँ भी अनेक बीमारियों से पीडित है, इसके बावजूद भी अपीलार्थी को 600 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रतापगढ़ में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद से संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया है और आदेश दिनांक 30.03.2025 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जिला प्रतापगढ से डाईट भरतपुर में संशोधन करते हुये उसे डाईट माउण्ट आबू सिरोही पदस्थापित किया गया है। जिला सिरोही जो टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस प्रकार अपीलार्थी को टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत ही पदस्थापित किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष